

रेजलिएंट होम्स फंड



Australian Government



Queensland
Government



क्या आपका घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था?



आपको सरकार की ओर से कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है:



अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए



अपने घर को बढ़ाने के लिए



अथवा कुछ विशेष परस्थितियों में काउंसलि आपसे इसे खरीद भी सकती है।

ऐसा इसलिए है कि अगर उनके घर फरि से बाढ़ग्रस्त हो जाएं, तो उन्हें इतनी परेशानी न हो।



ट्रांसलेटगि एंड इंटरप्रेटगि सर्वसि को 13 14 50 पर कॉल करें, जो आपको रेजलिएंट होम्स फंड के लिए सरकारी सेवा से जोड़ेगी।

अधिक जानकारी के लिए आप इस कोड को अंग्रेज़ी में स्कैन कर सकते/सकती हैं।



इसमें यह समझाया जाएगा कि सिरकार को अपना विवरण कैसे देना है, ताकि वे देख सकें कि आप सहायता पाने के योग्य हैं या नहीं।

यह सहायता संयुक्त रूप से वित्त-पोष्टि कॉमनवेल्थ-स्टेट डजिस्टर रकिवरी फंडगि व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।